गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांकः 345 प्रवर्तन जोन–5/2017 दिनांक 23/09/2017

सेवा में,

मै0 उप्पल चडढा हाइटेक डवलपर्स प्रा0 लि0
प्लाट सं0–757, डासना काजीपुरा मोड
एन0एच0–24, गाजियाबाद।

विषयः– मै0 उप्पल चडढा हाइटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 (वेव सिटी)के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0–352/जोन–5/2013–14 दिनांक 07.10.2013 के अन्तर्गत सै0–1 व 2 का आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विकासकर्ता, मै0 उप्पल चडढा हाइटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 के आर्किटेक्ट श्रीमति रेखा देवयानि एवं स्थलीय इंजीनियर श्री सुधीर अरोडा (सिविल) द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र एवं प्रपत्रों का परीक्षण कराने एवं सम्यक विचारोंपरान्त उपाध्यक्ष महोदया द्वारा प्रदत्त सशर्त दिनांक 05.09.2017 के कम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15(क) 2 के अनुसार मात्र सै0–1 व 2 का आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है।

शर्ते जो प्रभावी होगी :–

1. सम्पूर्ण क्षेत्र हेतु स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0–352/जोन–5/2013–14 दिनांक 07.10.2013 में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि परिवर्तन आवश्यक होंगे तो उनकी स्वीकृति प्राधिकरण से अलग से प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत तलपट मानचित्र पत्र दिनांक 07.10.2013 एवं डवलपमेन्ट, एग्रीमेन्ट दिनांक 10.10.2013 में इंगित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। एवं विभिन्न विभागों द्वारा तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लेखित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन करना होगा।
2. सै0–1 व 2 में अवशेष भूमि का कब्जा आने पर स्वीकृत एवं मानक के अनुसार अवशेष समस्त विकास कार्य एवं सर्विसीज पूर्ण करने का दायित्व विकासकर्ता का होगा। सम्पूर्ण विकास कार्य एवं सर्विसीज पूर्णकर पुनः पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. तलपट मानचित्र में अंकित नॉन पर्चेज लैण्ड विकासकर्ता कम्पनी के स्वामित्व में न होने के कारण बाधित कनेक्टिविटी को पूर्ण करने हेतु वैकल्पीक व्यवस्था का दायित्व कम्पनी का होगा।
4. स्वीकृत तलपट मानचित्र में दर्शित स्थल पर एस.टी.पी. हेतु भूमि का कब्जा विकासकर्ता के पास न होने के कारण एस0टी0पी0 का निर्माण नहीं किया जा सका है। सै0–1 व 2 हेतु वैकल्पीक अस्थाई एस0टी0पी0 विकसित किया गया है तथा स्थल पर स्थायी एस0टी0पी0 का निर्माण कर सै0–1 व 2 की कनेक्टिविटी पूर्ण करनी होगी।
5. सै0–1 व 2 के समस्त विकास कार्य एवं सर्विसीज की कनेक्टिविटी को मुख्य लाइन से जोडना एवं रख रखाव सुनिश्चित करना होगा।
6. अवशेष विधुत कार्यो हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा जारी गाईड लाइन्स का अनुपालन करते हुए विधुत मानको के अनुसार कार्य सम्पादित कराने होगें।
7. सै0–1 व 2 के सापेक्ष निर्माणाधीन ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवन आरक्षित हेतु शपथ पत्र दिनांक 23.09.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
8. सलंग्न शपथ पत्र दिनांक 27.07.2017 का अनुपालन सुनिश्चिंत करना होगा।
9. सम्पूर्ण विकास कार्य एवं सर्विसीज पूर्ण कर सम्पूर्ण विकास क्षेत्रफल का अन्तिम पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करना होगा।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–5
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण